शिक्षा का अधिकार - एक अलग नज़रिया

समान स्कूल प्रणाली के ज़रिए शिक्षा का अधिकार पर राष्ट्रीय अभियान समिति (एनसीसीआरटीईसीएसएस) के दिल्ली में आयोजित सम्मेलन (8 जुलाई 2008) शिक्षा का अधिकार विधेयक (आरटीई विधेयक) पर विचार-विमर्श के दौरान कुछ मुद्दे उभरकर आए थे। यहां ये इस उम्मीद में प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एनसीसीआरटीईसीएसएस एक अखिल भारतीय मंच है जिसमें कई स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालयीन शिक्षक संगठनों सहित कई संगठन शामिल हैं। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है।

® आरटीई विधेयक मोहल्ले के स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली (सीएसएस) के ताने-बाने में होना चाहिए जो निजी अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, दसवीं योजना में प्रस्तावित 6,000 मॉडल स्कूलों और केंद्र व राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित अन्य विशेष श्रेणी के स्कूलों आदि सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस मूलभूत ढांचे में कोई अपवाद नहीं होगा।

® उपरोक्त ढांचे के दायरे में पूर्व प्राथमिक से लेकर धन-2 स्तर यानी बारहवीं तक के सभी स्कूल आएंगे।

® इसका यही मतलब है कि सभी स्कूलों को पड़ोस (इसका निर्धारण एक निर्धारित प्राधिकरण करेगा) में रहने वाले सभी बच्चों को दाखिला देकर समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना होगा। इसके लिए न तो प्रवेश परीक्षा होगी, न कोई जांच होगी और न ही माता-पिता के साथ कोई बातचीत इत्यादि। मोहल्ले के स्कूल में दाखिला और समान गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार होगा।

→ कानून के तहत निर्धारित प्राधिकरण प्रत्येक स्कूल के पड़ोस का निर्धारण करते हुए इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चों की यथेष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलता हो जो साथ-साथ पढ़ें और घुले-मिलें।

® सभी बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (दो साल की) से लेकर 12वीं तक की शिक्षा पूर्णतः निशुल्क दी जाएगी। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य सभी ज़रूरतों, जैसे यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, टेस्ट व परीक्षा फीस और मध्यान्ह भोजन भी निशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए और यह गरीब व अमीर बच्चों दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसके अलावा खेलकूद, कला, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर व आईसीटी और शिक्षणेत्तर गतिविधियों (जैसे फील्ड ट्रिप, पिकनिक इत्यादि) के लिए भी बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी स्कूल को प्रवेश के समय या बाद में कैपीटेशन फीस, डोनेशन या मेन्टेनेंस अथवा किसी अन्य फंड के नाम पर पैसा वसूलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को 'अपार्च्युनिटी कॉस्ट' यानी विकल्प-त्याग की लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए (यह स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड के रूप में हो सकती है)। इसके लिए कोई तर्कसंगत सिद्धात और व्यावहारिक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है।

® किसी भी स्कूल में ढांचागत सुविधाओं, शिक्षकों, छात्र-शिक्षक व प्रति कक्षा-शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रम और शिक्षण गुणवत्ता के मानक और मानदंड केंद्रीय विद्यालय के स्तर से नीचे के नहीं होने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पांच साल से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए।

® शिक्षकों की योग्यता और सेवा-पूर्व प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। सभी शिक्षक नियमित होने चाहिए और उनकी तनख्वाह व अन्य सेवा शर्तें पांचवें वेतन आयोग के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षकों की अन्य श्रेणियों (जैसे पैरा-टीचर्स और अतिथि शिक्षक) को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

® किसी भी शिक्षक को चुनाव या जनगणना सहित किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए और यह सभी स्कूलों (निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों सहित) पर बगैर किसी भेदभाव के लागू होना चाहिए। अपवाद केवल आपदा राहत ड्यूटी हो सकती है।

® समान भाषा शिक्षा नीति का पालन सभी श्रेणियों के स्कूलों में किया जाएगा और बच्चों के भाषाई अल्पसंख्यक होने की स्थिति में संविधान की धारा 350ए का सम्मान किया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों सहित सभी पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं (यानी दूसरी या तीसरी कक्षा तक) में

मातृभाषा और उसके बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की भाषा शिक्षा का माध्यम होगी। एक-समान गुणवत्ता की अंग्रेजी कक्षा तीसरी या चौथी से शुरू की जाएगी। वर्ष 1986 की नीति और कोठारी आयोग में वर्णित त्रि-भाषा फार्मूले के सिद्धांत के अनुरूप हिंदी व गैर-हिंदी भाषी राज्यों में कक्षा चौथी से तीसरी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।

® किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सभी स्कूल सम्बंधित राज्य के राज्य शिक्षा/परीक्षा मंडल से संबद्ध होने चाहिए। मोटे तौर पर वर्ष 1986 की नीति के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क व इसके मूल पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए भी ज़िला, विकास खंड या स्कूलों के समूह अथवा किसी एक स्कूल में भी लचीलेपन, विविधता, नवाचार और रचनात्मकता के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए (जिसका मौजूदा प्रणाली में अभाव है) ।

® सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों की अचल संपत्ति की बिक्री अथवा उसे लीज़ या किराए पर देने पर प्रतिबंध होगा।

® वित्तीय आवंटन : वर्ष 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 फीसदी वार्षिक खर्च करने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा के बाद इस अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्च के बीच जो संचयित अंतर है, उसे पांच साल के भीतर पाटा जाएगा और इसके बाद 6 फीसदी वार्षिक खर्च के प्रावधान का पालन किया जाएगा।

® आरटीई विधेयक के साथ एक वित्तीय मेमोरेंडम नत्थी किया जाना चाहिए।

® स्कूल या सम्बंधित व्यवसाय/गतिविधियों से लाभ अर्जित करने पर प्रतिबंध होगा।

® स्कूल वाउचरों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही इस नव-उदारवादी प्रस्ताव के साथ निजी स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण देने की बात की जाए।

® स्कूली शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी नहीं होनी चाहिए।

- किसी भी विदेशी स्कूल बोर्ड या अन्य मूल्यांकन एजेंसी को भारत में स्कूलों के संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

® स्कूली शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

® डब्ल्यूटीओ की वार्ताओं में स्कूली शिक्षा (पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सहित) को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

टिप्पणियां

1. पूर्व-प्राथमिक चरण कम से कम दो साल का होना चाहिए। बच्चों के विकास के इस महत्वपूर्ण चरण के लिए शिक्षकों को बाल शिक्षा शास्त्र के अनुरूप सेवापूर्व प्रशिक्षण हासिल करना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की इस तरह की सुविधा अभी शायद ही उपलब्ध हो। इसलिए इस तरह की सुविधा के विकास के लिए नौ साल का समय दिया जाएगा। इस बीच इस समस्या से निपटने के लिए डाइट के ज़रिए अल्पावधि के सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किए जाएंगे। आरटीई विधेयक 2008 के मसौदे में इस मुद्दे को आईसीडीएस या अन्य सरकारी कार्यक्रमों के समान बताकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया है।

2. तीसरे बिंदु में पड़ोस के स्कूल के संदर्भ में समान गुणवत्ता की शिक्षा का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है क्योंकि निजी स्कूलों की लॉबी वंचित तबकों के बच्चों के अकादमिक रूप से पिछड़े होने का दावा करके उन पर विशेष ध्यान देने के नाम पर झुग्गी बस्तियों या गांवों में समानांतर स्कूल या शाखाएं अथवा दोपहर के स्कूल शुरू करके पड़ोस के स्कूल के प्रावधान के साथ छल कर सकती है।

3. कई समूहों का मानना है कि मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक दायरों (यानी ग्रामीण व शहरों दोनों ही जगह दलित, आदिवासी व मुस्लिम मोहल्लों) को देखते हुए पड़ोस की अवधारणा की प्रासंगिकता एक हद तक कम हो सकती है। ये दायरे सामाजिक-सांस्कृतिक और साम्प्रदायिक तनाव की वज़ह से और भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र स्कूल के पड़ोस का निर्धारण करते समय निर्धारित प्राधिकरण द्वारा बच्चों की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का यथेष्ट सम्मिश्रण अहम हो जाता है।

4. अपार्च्युनिटी कॉस्ट शिक्षा योजना के सामाजिक सिद्धांतों में इस तथ्य के मद्देनज़र स्वीकृत आर्थिक अवधारणा है कि गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों को बाल श्रम से हटाने की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित तबकों के बच्चों को प्राथमिक चरण में स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है। निशुल्क शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्वों में इसे शामिल करना तर्कसम्मत है।